Acquisition of Land for Railway Line

638. SH. KULDEEP VATS, M.L.A.: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State:-

- a) Whether the land for laying down the Railway Line from Sonipat to Gurugram is likely to be acquired by the Government in State; and
- b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide equal circle rate to all the areas for their acquired land together with the details thereof?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) Yes, Sir.
- b) No Sir, there is no such proposal of provision of equal circle rates to all areas of acquired land is under consideration. For different areas, specific rates as applicable are determined by the respective competent authorities for Land Acquisition (CALA) for compensation of land acquisition as per RFCTLAR 2013 Act, provisions extended to Railway act 1989 for different villages (area wise).

रेलवे लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण

638. श्री कुलदीप वत्स, एम0एल0ए0: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगें कि-

- (क) क्या राज्य में सोनीपत से गुरूग्राम तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिगृहित किए जाने की संभावना है; तथा
- (ख) यदि हां, तो क्या सभी क्षेत्रों को उनकी अधिगृहित भूमि के लिए समान सर्किल रेट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा

- क) हाँ, श्रीमान् जी।
- ख) नहीं, श्रीमान् जी, सभी क्षेत्रों में अधिगृहित भूमि के लिए समान सर्किल दरों के प्रावधान का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भूमि मुआवजे का निर्धारण विभिन्न गांवों (क्षेत्रवार) के लिए लागू होने वाली, विशिष्ट दरों के अनुसार संबंधित भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 को विस्तारित भूमि अधिग्रहण (सीएएलए) अधिनियम आरएफसीटीएलएआर 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।